प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला- जयपुर, थाना- प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0 नि0 ब्यू0 जयपुर, वर्ष-2022 प्र0इ0रि0 सं. ....10/22............दिनांक..........13/1/22

2. (I) **अधिनियम:-** धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 व 120बी भा0दं0सं0

   (II) अधिनियम .... धारायें

   (III) अधिनियम .... धारायें ....

   (IV) अन्य अधिनियम एवं धारायें भा0दं0सं0..........................

(अ) रोजनामचा आम रपट संख्या ....319 समय .....4:00 P.M...............

   (ब) अपराध घटने का दिन-बुधवार दिनांक 12.01.2022 समय 02.03 पीएम

   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक ....

4. सूचना की किस्म :- लिखित /मौखिक- लिखित

5. **घटनास्थल:-** नगर पालिका मालपुरा, जिला टोंक के पास भैरू जी मन्दिर का निर्माणाधीन हॉल

(अ)पुलिस थाना से दिशा व दूरी:-बजानिब दक्षिण दिशा करीब 90 किमी

   (ब) बीट संख्या..........................जयरामदेही सं.................

   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो

   पुलिस थाना ....जिला ....

6. (i)परिवादी /सूचनाकर्ता :-

   (अ) नाम- श्री विकास कुमार बैरवा

   (ब) पिता/पति का नाम- श्री रामप्रसाद बैरवा

   (स) जन्म तिथी- उम्र-25 वर्ष

   (द) राष्ट्रीयता - भारतीय

   (य) पासपोर्ट संख्या ....जारी होने की तिथि

   जारी होने की जगह ....

   (र) व्यवसाय-ठेकेदारी

(ल)पता- नि. गांव बड का पाडा पोस्ट शिवसिंहपुरा, लालसोट जिला दौसा

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित : -

   1. श्री मनीष सोनी चेयरमैन पति नगर पालिका मालपुरा, जिला टोंक।

   2. श्री प्रेमचंद माली पुत्र श्री रामकिशोर माली जाति माली उम्र 40 वर्ष निवासी वार्ड नं0 27, पुरानी तहसील, बम्ब तलाव के पास, मालियों का मोहल्ला, मालपुरा, जिला टोंक हाल ठेकेदार ग्रेड-सी क्लास नगर पालिका मालपुरा, जिला टोंक।

   3. श्री योगेन्द्र गौतम उर्फ मोनू पुत्र श्री जयप्रकाश शर्मा, जाति ब्राहमण, उम्र 28 साल निवासी चौमूखाजी मन्दिर के पास डिग्गी, जिला टोंक हाल तकनीकी सहायक संविदा कर्मी, नगर पालिका मालपुरा, जिला

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :-..............

9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)...

10. चुराई हुई/ लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य-15,000/-रू0

11. पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) ....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित ....हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें):-

दिनांक 29.11.2021 को परिवादी श्री विकास कुमार बैरवा पुत्र श्री रामप्रसाद बैरवा उम्र 25 वर्ष, नि. गांव बड का पाडा पोस्ट शिवसिंहपुरा, लालसोट जिला दौसा ने ब्यूरो कार्यालय में उपस्थि होकर एक लिखित शिकायत इस आशय की प्रस्तुत की कि "सेवामें श्रीमान उपमहानिदेशक महोदय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर विषय:- कानूनी कार्यवाही करने बाबत् महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं विकास कुमार बैरवा हूं। मेरा टैंडर PWD से D क्लास का सरकारी ठेकेदार हूं। मेरा टैंडर नगरपालिका मालपुरा में वार्ड नं. 15 शिव मंदिर में सामुदायिक भवन निर्माण का कार्य जिसका मुझे वर्क ऑर्डर दिनांक 10.11.2020 को मिला जिसमें दिये गये समयानुसार मैंने यह कार्य पूर्ण समय दो महिने में पूरा किया तथा जब मैंने बिल के लिये कर्मचारियों से कहा तो वह आ कल- आज कल करते रहे। और मुझे परेशान करते थे। मैं रोज नगरपालिका मालपुरा जाता और निराश लौट जाता ऐसा करते करते उन्होंने छः सात महिने निकाल दिये। फिर कुछ दिन बाद में चैयरमैन श्रीमति सोनिया सोनी पति मनीष सोनी के पास गया तो उन्होंने मेरा रनिंग बिल बनाया जो कि राशि- 301915.82/- थी तथा उसके बाद में फाईनल बिल के लिये वापस नगरपालिका मालपुरा में गया तो फिर से चैयरमैन के पति मनीष सोनी द्वारा तीन-चार महिने तक परेशान किया गया। फिर जब मैंने परेशान करने की वजह पूछी तो चैयरमैन के पति मनीष सोनी द्वारा तथा चैयरमैन श्रीमति सोनिया सोनी द्वारा 10 प्रतिशत कमीशन की बात सामने आई नगरपालिका में सारा लेनदेन की कार्यवाही चैयरमैन के पति मनीष सोनी करते हैं। तथा मनीष सोनी के प्रिय मित्र प्रेम माली वह पैसे लेते हैं। मनीष सोनी के कहने पर तब जाके मेरा फाईनल बिल बनाया तथा कुल बिल का 10 प्रतिशत कमीशन राशि जो कि मैं नहीं देना चाहता तथा मैं इन भ्रष्टाचारियों को पकडवाना चाहता हूं। अतः कार्यवाही करने का श्रम करें। एस.डी. विकास कुमारर बैरवा पुत्र रामप्रसाद बैरवा पता गांव बडकापाडा पोस्ट शिवसिंहपुरा लालसोट जिला दौसा मो.नं. 9588091946"। जिस पर दिनांक 14-12-2021, 17-12-2021, 21-12-2021 एवं 3-1-2022 को रिश्वत मांग सत्यापन करवाया गया तो दिनांक 14-12-2021 की वार्ता में श्री मनीष सोनी चैयरमैन पति द्वारा परिवादी के निर्माण कार्य से संबंधित पूर्व में पास किये गये भुगतान के बाद भी परिवादी नही मिलने के कारण शेष भुगतान नही करने संबंधी उलाहना देना तथा श्री मोनू से मिलने के लिए कहना व मोनू द्वारा चैयरमैन के कहेनुसार 25000/- रूपये रिश्वत के परिवादी को देने के लिए कहना तथा रिश्वती राशि स्वयं द्वारा नही लेने की बात कहने पर परिवादी से पुनः रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 17-12-2021 व 21-12-2021 को रिश्वत मांग सत्यापन करवाया जिसमें आरोपी मनीष सोनी चैयरमैन पति द्वारा परिवादी की निर्माण कार्य से संबंधित पत्रावली का अवलोकन करना तथा परिवादी को मोनू द्वारा 25000/- रूपये रिश्वती राशि श्री मनीष के द्वारा मांगी जाने की सूचना दी इस बात से श्री मनीष को अवगत करवाया तो श्री मनीष ने परिवादी से कहा कि पैसो की बात मोनू ही करता है एवं मोनू तथा प्रेम माली से मिलने के परिवादी को कहा था। इस पर दिनांक 3-1-2022 को रिश्वत मांग सत्यापन के अनुसार आरोपी श्री प्रेमचंद माली द्वारा परिवादी से 20,000/- रूपये रिश्वत की मांग करना एवं 15000/- रूपये पहले लेना एवं शेष 5000/- रूपये बाद में देना तय हुआ। उक्त वार्ताओ की नियमानुसार फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई।

दिनांक 10-01-2022 को स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी विकास कुमार बैरवा पुत्र श्री रामप्रसाद बैरवा नि. गांव बड का पाडा पोस्ट शिवसिंहपुरा, लालसोट जिला दौसा को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के क्रम में आरोपी को दी जाने वाली रिश्वत राशि पेश करने की कहने पर परिवादी श्री विकास कुमार बैरवा ने अपने पास से पांच पांच सौ रूपये के 30 नोट कुल 15000/- रूपये प्रस्तुत किए। उपरोक्त वर्णित नम्बरी नोट पर श्री सतीश कुमार कानि0 275 से फिनोलफ्थलीन पाउडर लगाया जाकर फर्द सुपुर्दगी नोट फिनोलफ्थलीन पाउडर व सुपुर्दगी डिजिटल वाईस रिकार्डर तैयार की जाकर शामिल पत्रावली की गई। दिनांक 10-01-2022 को ट्रेप कार्यवाही हेतु मालपुरा पहूंचे परन्तु आरोपी के मालपुरा नही होने पर कार्यवाही नही हो सकी। इसलिए ब्यूरो कार्यालय वापस आए।

दिनांक 12-1-2022 को स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के समक्ष कार्यालय की आलमारी से रिश्वती राशि 15000/- रूपये का लिफाफा श्री सतीश कुमार कानि0 275 से निकलवाकर उक्त नोटो का मिलान पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकशी से करवाया। श्री सतीश कुमार कानि0 275 से रिश्वती राशि परिवादी के